(01)

अवकाश संबंध

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6526 /स्थापाना/वि.स./01 रायपुर, दिनांक 23 जुलाई.01

कार्यालय आदेश

प्राय: यह देखा गया है कि सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारीगण अर्जित अवकाश के आवेदन नियमों के अनुसार समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं . यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारीगण अर्जित अवकाश का लाभ उठाने के पश्चात आवेदन प्रस्तुत करते हैं. साथ ही अर्जित अवकाश को मेडिकल अवकाश में परिवर्तित कराने का भी आवेदन दिया जाता हैं. उक्त कार्यवाहियां नियमानुकूल नहीं हैं .

अत: म0प्र0 सिविल सेवायें (अवकाश) नियम , 1977 के नियम 13 (2) के अनुसार अर्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र कम से कम उस तिथि से तीन सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिये. जिस दिन से अवकाश चाहा गया हो .

नियम 17 (1) के अनुसार शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर लिये गये अवकाश हेतु आवेदन पत्र के साथ अधिकृत चिकित्सा परिचारक (मेडिकल अटेन्डेन्ट) अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रेक्टिशनर) द्वारा प्रपत्र 3 में दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र को संलग्न किया जायेगा. उसमें बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का, जहां का, जहां तक संभव हो, स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये. ऐसे प्रार्थना-पत्र सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करना चाहियें .

नियम 23 (3) के अनुसार शासकीय अधिकारी /कर्मचारी को फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं.

भविष्य में उपरोक्त नियमों के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर ही विचार संभव होगा ।

आदेश से,
सत्येन्द्र तिवारी
उपसचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

②

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक ....6641.../वि.स./स्था./2005. रायपुर–492001 दिनांक 9/6/05

// कार्यालय–सूचना //

प्रायः देखा जा रहा है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश हेतु आवेदन सिविल सेवा अवकाश नियम 13(2)में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रस्तुत नहीं किया जाता है ।

अतः सचिवालयीन कार्यालय सूचना क्रमांक 6526, दिनांक 23 जुलाई ,2001,के परिपेक्ष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को पुनः सूचित किया जाता है कि अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र कम से कम उस तिथि से तीन सप्ताह अथवा इक्कीस दिन पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

समस्त शाखा प्रभारी अधिकारियों से भी उक्त आदेश का पालन कराते हुये

अपनी अनुशंसा दिये जाने की अपेक्षा की जाती है ।

आदेश से,

ह0/-

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र 6645 वि.स./स्था./05 रायपुर, दिनांक 9/6/05

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर .
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, को माननीय सचिव महोदय के सूचनार्थ.
03. समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

9/6/05

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(3)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 612 /वि.स./स्था./2002 रायपुर—492 001 दिनांक 24-1-2002

कार्यालय सूचना

मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश में विशेष अवकाश घोषित होने पर निरस्त किये जाने का नियम नहीं है।

अतः आदेशानुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त कराने अथवा अन्य अवकाश में परिवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत न करें।

अवर सचिव

का.प्र. छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(4)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 9798/विस/स्था./2004 रायपुर, दिनांक 4-10-2004

// कार्यालय सूचना //

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अर्जित अवकाश, भैषजिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहती हैं और इन अवकाश को स्वीकृत करने के नियम भी विद्यमान है । प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी वर्ष के आरंभ में दो–चार माह में ही सम्पूर्ण आकस्मिक अवकाश का लाभ ले लेते हैं और पश्चात् एक–एक दिन के अवकाश के लिए अर्जित अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं, यह सर्वथा अनुचित है । अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश की तरह स्वीकृत नहीं किए जा सकते ।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि अर्जित अवकाश एक–एक, दो–दो दिन के लिए आकस्मिक अवकाश की भाँति स्वीकृति योग्य नहीं होगा । अवकाश का लाभ नियमानुसार ही लें अन्यथा स्थिति में अवकाश अवैतनिक रूप में स्वीकृत हो सकेगा ।

आदेश से,

4/X/04

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

Noted 4/10/04

4/10/04 Noted

4-10-04

Noted

335

(05)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 9232/वि.स./स्था./2003 रायपुर—492 001 दिनांक 2-9-03

// कार्यालय सूचना //

समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि शासकीय कार्य के सम्पादन के लिए शासकीय अवकाश के दिनों में वे अपने कक्ष अथवा शाखा खोलना चाहते हैं, तब उन्हें एक दिन पूर्व इसकी लिखित अनुमति सचिव महोदय से प्राप्त करना चाहिए ताकि तद्नुसार सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया जा सके ।

कोई भी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी बिना सचिव महोदय की लिखित अनुमति के सुरक्षा कर्मियों से अपना कक्ष अथवा शाखा खोलने हेतु निर्देशित नहीं करें, इस बात का ध्यान रखा जाए ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर) 04/09/03

संचालक

छत्तीसगढ़ विधानसभा

(06)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 10,973/स्था/विस/2003 रायपुर, दिनांक 19-11-03

कार्यालय सूचना

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 का नियम क्रमांक 9 पूर्व स्वीकृत अवकाश को अन्य अवकाश में परिवर्तित करने के संबंध में एवं नियम क्रमांक 23 पूर्व स्वीकृत अवकाश को निरस्त करने के संबंध में हैं । इन नियमों के अंतर्गत प्रायः अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवेदन भी प्राप्त होते हैं । नियमों का विशदिकरण निम्नानुसार है :–

नियम क्रमांक 9 : इस नियम में अवकाश परिवर्तन किए जाने का उल्लेख है । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी भूतलक्षी प्रभाव से अवकाश परिवर्तन की स्वीकृति केवल ऐसे अवकाश के संबंध में दे सकता है जो शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृति के समय देय तथा **स्वीकार्य** हो ।

नियम क्रमांक 23: इस नियम के तहत यदि कोई शासकीय सेवक स्वीकृत अर्जित अवकाश को निरस्त करवाकर निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य पर उपस्थित होना चाहता है, तो तब उसे कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ऐसा करने का समुचित कारण बताते हुए सक्षम अधिकारी से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति के उपरांत ही कार्यभार ग्रहण करना चाहिए ।

कृपया समस्त अधिकारी/कर्मचारी इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

19/XI/03

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(07)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 4066/वि.स./स्था./2004. रायपुर—492 001 दिनांक 13-5-04

// कार्यालय आदेश //

अध्यक्षानुसार, समस्त अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवेदित अवकाश के साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अथवा अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति चाहे जाने की स्थिति में उक्त आवेदन शाखा द्वारा, अपेक्षित अनुशंसा के साथ स्वीकृति हेतु स्थापना शाखा को प्रेषित किया जाना चाहिए ।

मुख्यालय छोड़ने की अनुमति स्थापना शाखा द्वारा प्राप्त होने पर ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर)

अपर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र./4067/वि.स./स्था./2004. रायपुर, दिनांक 13-5-04

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ.

(2) अपर सचिव (स्था.), छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर.

(3) समस्त अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

(हस्ताक्षर) 13/5/04

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पुष्ट/4/सामसा/

(08)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 4682 वि.स. स्था./2004. रायपुर—492 001 दिनांक 23/5/2004

// कार्यालय आदेश //

आदेशानुसार, समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि चिकित्सकीय आधार पर अवकाश में वृद्धि की जाती है तब मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र (अनफिट व फिट होने संबंधी) के साथ कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

आदेश से,

अपर सचिव,

o/c छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र./4683/वि.स./स्था./2004. रायपुर, दिनांक 23/5/2004

प्रतिलिपि :-

(1) स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ.

(2) अपर सचिव (स्था.), छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर.

(3) समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

22/5/04

अवर सचिव,

o/c छत्तीसगढ़ विधान सभा.

09

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 5825/वि.स./स्था./2005 रायपुर, दिनांक 5/5/05

// कार्यालय-सूचना //

आदेशानुसार, अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आधे दिन के आकस्मिक अवकाश पूर्वान्ह अथवा अपरान्ह की स्थिति में सचिवालय में प्रवेश एवं निर्गमन के समय, प्रवेश द्वार पर निर्धारित पंजी में प्रविष्ठि करावें एवं हस्ताक्षर करें ।

ह.स्ना/-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृष्ठांकन क्रं/5826 /वि.स./स्था./2005 रायपुर, दिनांक 5/5/05

प्रतिलिपि :-

1. मान. अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. समस्त अधिकारी / शाखा प्रभारी एवं कर्मचारी गण, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुभाग अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(10)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 12834 वि.स. / स्था / 2005. रायपुर, दिनांक 28/11/05

कार्यालय–आदेश

आगामी सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सत्र संबंधी कार्य समस्त शाखाओं में जारी है, ऐसी स्थिति में सत्र संबंधी कार्यो के महत्व को ध्यान में रखते हुये यह अत्यंत आवश्यक है कि अवकाश आवेदन अवकाश की आवश्यकता का औचित्य प्रतिपादित करते हुए तथा शाखा प्रभारी अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के साथ स्थापना शाखा को भेजे जाऐं ।

आदेश से,

28/XI/05

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र. 12835 / वि.स. / स्था. / 2005 रायपुर, दिनांक 28.11.05

प्रतिलिपिः–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. समस्त अधिकारी / शाखा प्रभारी एवं कर्मचारी गण छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

28/XI/05

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 11476/वि.स./स्था./2006 रायपुर, दिनांक 27/10/06

//कार्यालय सूचना//

आदेशानुसार, सूचित किया जाता है कि अवकाश नियमों के अन्तर्गत सचिवालय में पदस्थ कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, भैषजिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी प्रथम श्रेणी अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित शाखाओं के प्रभारी उप सचिव/संचालक कर सकेंगे व स्थापना शाखा के कर्मचारियों के अवकाश संबंधी आवेदनों की स्वीकृति शाखा के अनुभाग अधिकारी तथा प्रथम श्रेणी अधिकारी की अनुशंसा पर अवर सचिव (स्थापना) कर सकेंगे ।

आदेश से,

27/X/06

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र. 11477/वि.स./स्था./2006 रायपुर, दिनांक 27/10/06

प्रतिलिपि :-

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

27/X/06

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6761/विस/स्था./2013 रायपुर, दिनांक : 27/5/13

कार्यालय–आदेश

अवकाश नियमों के अंतर्गत सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश/भैषजिक अवकाश/आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में इस सचिवालय का आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 11777/विस/स्था/2006 दिनांक 27.10.2006 जारी किया गया है, किन्तु देखने में आया है कि आदेश के बावजूद अवकाश स्वीकृत करने संबंधी नस्तियॉं प्रमुख सचिव को अंकित की जा रही है ।

उक्त आदेश को आंशिक संशोधित करते हुये पुनः अवकाश नियमों के अन्तर्गत अवकाश स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :–

"सचिवालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की स्वीकृति अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी प्रथम श्रेणी अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित शाखाओं के उप सचिव/संचालक/अपर सचिव कर सकेंगे ।

समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश/भैषजिक अवकाश संबंधित शाखाओं के प्रभारी वरिष्ठतम अधिकारी की अनुशंसा पर अपर सचिव (प्रश्न) स्वीकृत कर सकेंगे ।

प्रमुख सचिव के समक्ष केवल अपर सचिव, संचालक/उप सचिव के अवकाश स्वीकृति संबंधी नस्तियॉं ही प्रस्तुत की जाये ।"

आदेश से,

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृष्ठांकन क्र. 6762/विस/स्था./2013 रायपुर, दिनांक : 27/5/13

प्रतिलिपि :–

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ विधान सभा, रायपुर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
3. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

27/5

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(13)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 391 /वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक : 12/1/2007

//कार्यालय–सूचना//

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपने आकस्मिक अवकाश स्वत्व का लाभ वर्ष के मध्य में ही पूर्ण रूप से ले लिया जाता है, शेष माह में आकस्मिक आवश्यकता के अवसर पर तत्समय एक–एक, दो–दो दिन के अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं ।

चूंकि यह प्रक्रिया अवकाश नियमों तथा सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी की गई कार्यालय सूचनाओं के अनुकूल नहीं है ।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वह अपने आकस्मिक अवकाश स्वत्व का लाभ पात्रता के तहत प्रयोजन के अनुसार ही लें । इसके साथ ही अर्जित अवकाश का आवेदन भी नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत करें ।

आदेश से,

12/1/07

O/C अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्र 392 /वि.स./स्था./2006 रायपुर, दिनांकः 12/1/2007

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टॉफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

12.1.07
अनुभाग अधिकारी
O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava

14

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 6673/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक : 13-6-07

कार्यालय–सूचना

प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी जो एक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत हैं वे अपने अवकाश का लाभ अपने से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के बगैर, किसी एक अधिकारी के समक्ष अवकाश संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर अवकाश पर चले जाते हैं । जिससे अन्य शाखा का कार्य प्रभावित होता है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि अवकाश पर जाने के पूर्व अपने से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति मौखिक रूप से प्राप्त कर उसका उल्लेख प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन में आवश्यक रूप से करें तथा अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश पर जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

13/6/07

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

O/C

पृ.क्रमांक 6674/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक 13-6-07

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

13.6.07

अनुभाग अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava

O/C

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 7049/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक : 22.6.07

कार्यालय–आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि सचिवालय के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी सादे कागज पर चिकित्सा अवकाश आवेदन प्रेषित कर उपस्थिति उपरान्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करते हैं, जो नियमानुकूल नहीं है ।

सिविल सेवा अवकाश नियम 17 (1) के अनुसार शासकीय सेवक द्वारा चिकित्सा हेतु प्रमाण–पत्र के आधार पर लिये गये अवकाश के लिये निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अधिकृत चिकित्सा परिचारक (मेडिकल अटेन्डेन्ट) अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (मेडिकल प्रेक्टिशनर) द्वारा प्रपत्र 3 में दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र को संलग्न किया जाना अत्यावश्यक है जिसमें बीमारी की प्रकृति तथा संभावित अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये । ऐसे अनफिट प्रमाण–पत्र अनुपस्थित सूचना की अवधि से सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करने पर ही भैषजिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा तथा नियम 23 (3) के अनुसार उपस्थिति के समय फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उक्त संबंध में पूर्व में भी कार्यालय आदेश क्रमांक 6526/विस/स्था./01 दिनांक 23.07.2001 द्वारा जारी किया जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ही नियमों का पालन करते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

(हस्ताक्षर) २२/6/07

अवर सचिव

o/c छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्रमांक 7059/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक 22-6-07

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

(हस्ताक्षर) 22.6.07

अनुभाग अधिकारी

o/c छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava

(16)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 7808/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक : 7.7.07

कार्यालय–आदेश

भोजन अवकाश हेतु दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन कतिपय कर्मचारी समय की पाबंदी का पालन एकाधिक बार ध्यान दिलाने के बावजूद भी नहीं कर रहे है ।

आदेशानुसार, अनुरोध है कि समय का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा स्थिति में संबंधित कर्मचारी के आकस्मिक अवकाश में से 1/2 दिन की कटौती स्थापना शाखा द्वारा की जाएगी ।

आदेश से,

7/7/07

अवर सचिव,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ.क्रमांक 7809/वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक 7.7.07

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

7/7

अनुसंधान अधिकारी,

O/C छत्तीसगढ़ विधान सभा.

Karyalay Suchna/Vinay Shrivastava

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक......................

कार्यालय–सूचना

आदेशानुसार, सूचित किया जाता है कि विधान सभा परिसर अथवा निकटस्थ रहने वाले कर्मचारी जो भोजन अवकाश में घर जाकर निर्धारित अवधि में वापिस सचिवालय में नहीं आ पाते हैं तो वह स्वतः उक्त दिवस को आधे दिन के आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में बिना किसी सूचना के विलम्ब से लौटने पर अवकाश कटौती की कार्यवाही की जावेगी ।

आदेश से,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ. क्रमांक 9708 /वि.स./स्था./2007 रायपुर, दिनांक 13/8/2007

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी / अनुभाग अधिकारी /शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अनुसंधान अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

(18)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक................./वि.स./स्था./2010 रायपुर, दिनांक...........................

कार्यालय–सूचना

आदेशानुसार, अर्जित अवकाश, भैषजिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश के आवेदन जब स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, तब उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि आवेदित अवकाश का कितना स्वत्व प्राप्त है ।

अग्रेषितकर्ता अधिकारी भविष्य में, कृपया सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

हस्ता/-

अनुसंधान अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

पृ. क्रमांक 5239/वि.स./स्था./2010 रायपुर, दिनांक 12.5.2010

प्रतिलिपि :–

01. माननीय अध्यक्ष महोदय के सचिव, को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अनुसंधान अधिकारी,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

कार्यालय सूचना/विनय